मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2744
17.03.2025 को उत्तर के लिए

वनस्पति और जन्तुओं पर खुले खनन के प्रभाव

2744. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि खनन कार्यों से निकलने वाली धूल से वनस्पति और जन्तुओं को नुकसान हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है;
(ख) क्या खुले खनन के कारण वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का वन क्षेत्रों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कोई नई योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अनुमोदन देने से पहले क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। खनन कार्यों से उत्पन्न धूल के वनस्पतियों और जीवों सहित पर्यावरण पर अन्य संभावित प्रभाव को कम करने या न्यूनतम करने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए गए हैं, जिनमें वनस्पति के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, जीवों पर विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन, खदान पट्टा क्षेत्र के बाहर धूल के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास और भूमि बहाली के लिए खनन-रहित क्षेत्रों का चरणबद्ध पुनरूद्धार शामिल है। ऐसे सभी उपायों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा वहन लागत पर निष्पादित किया जाना अनिवार्य है।

इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की जाती है। ईआईए अधिसूचना, 2006 में पर्यावरण मंजूरी देने से पहले मूल्यांकन के चार चरण अर्थात् स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन शामिल हैं। परियोजनाओं/कार्यकलापों को पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा

स्कोपिंग के आधार पर विचारार्थ विषय सौंपे जाते हैं। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन ईएसी द्वारा किया जाता है, जैसा कि ईआईए अधिसूचना, 2006 में अनिवार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा मान्यता प्राप्त परामर्शदाताओं के माध्यम से तैयार की गई ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट, पारिस्थितिक क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान आदि जैसी पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर और गहन चर्चा/विचार-विमर्श के बाद ईएसी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं सहित पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट और मानक शर्तों के साथ खनन परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त खनन परियोजनाओं को मंत्रालय के दिनांक 24.07.2024 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" के हिस्से के रूप में चिन्हित 33% हरित पट्टी क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे और इसका विवरण मेरी लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(ख) से (ग) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वन भूमि का गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। केंद्र सरकार मामले दर मामले के आधार पर वन भूमि के अपवर्तन के प्रस्तावों पर विचार करती है और यदि वन भूमि का उपयोग अपरिहार्य है, तो न्यूनतम वन भूमि का उपयोग उचित उपशमन उपायों के साथ करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, मृदा और नमी संरक्षण कार्य, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना और वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि खनित पट्टाधारक को खनन कार्य बंद करने के बाद खनन क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में पुनः घास उगानी होगी, जो उनकी खनन कार्यकलापों के कारण प्रभावित हुए हैं, तथा भूमि को ऐसी स्थिति में लाना होगा, जो चारा, वनस्पति, जीव-जंतु आदि के विकास के लिए उपयुक्त हो।

इसके अलावा मंत्रालय वन क्षेत्रों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कई योजनाओं को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रहा है। इनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल है, जिसका उद्देश्य वन और गैर-वनीय क्षेत्रों में वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना है। नगर वन योजना (एनवीवाई) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान बनाना है ताकि वनों को क्षरण और अतिक्रमण से बचाया जा सके। "स्कूल नर्सरी योजना" पौधों की जैव विविधता के प्रति रूचि को बढ़ावा देकर छात्रों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए "मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम" (मिष्टी) की शुरुआत की है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत धन का उपयोग वनीकरण पहल सहित वन और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए किया जाता है। ये उपाय सामूहिक रूप से पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण में योगदान करते हैं।

****